राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प. 27(1)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः– 27.2.2023

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डल/आयोग, राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 व 2022 में यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट नियमों का कड़ाई से पालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप सचिव, गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 15/1/2023–पब्लिक, दिनांक 19.01.2023 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशानुसार निवेदन है कि गृह मंत्रालय, भारत के पत्र में उल्लेखित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (2021 व 2022 में यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. उप सचिव, गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, गृह (सुरक्षा) विभाग को उनके पत्र क्रमांक प.9(9)गृह–5/2019 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।

Signature valid
संयुक्त शासन सचिव
Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2023.02.27 12:36:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3238302

तत्काल

संख्या 15/1/2023-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(पब्लिक अनुभाग)
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -1
दिनांक 19 जनवरी, 2023

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरवअपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-II के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।

3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक –यथोपरि

पाण्डेय प्रदीप कुमार
19.1.2023
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

(2)

प्रति प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 5 अतिरिक्त प्रतियां।

पाण्डेय प्रदीप कुमार
19/1/2023

(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101

IMMEDIATE

(3)

File No. 15/1/2023-Public
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
***

North Block, New Delhi – 01.
Dated: 19 January, 2023

To

The Chief Secretaries/ Administrators of
All State Governments / UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Subject: 'Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022] and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971-reg.

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. Copy of 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022]' which governs the use/hoisting/display of National Flag, are available on this Ministry's website www.mha.gov.in.

2. As per clause (x) of Paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India, the National Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags, used by the public, made of paper, are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag.

3. You are also requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

Yours faithfully,

Encl: As above.

19/1/2023
(Pandey Pradeep Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 2309 3101

½

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

19/1/2023

(Pandey Pradeep Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 2309 3101